न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधि... बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई आर.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 47/2004
दायरा तिथि : 06.09.2004
निर्णय तिथि : 3–9–2019

वादीगण :–

स्व0. गोमा पुत्र हरजी जाति भांबी(मेघवाल)
निवासी पांचलवाडा तहसील बाली के कायम मुकाम वारिशान:–
1. स्व0. भूदाराम पुत्र गोमाजी के कायम मुकाम वारिशान:–
   1/1 श्रीमति हीरी धर्म पत्नि स्व0. भूदाराम
   1/2 दीपचंद पुत्र भूदाराम
   1/3 मोहनलाल पुत्र भूदाराम
2. पकाराम पुत्र गोमाजी के कायम मुकाम वरिशान:–
   2/1 चम्पाबाई बेवा पकाराम
   2/2 फूलाराम पुत्र पकाराम
   2/3 झालाराम पुत्र पकाराम
   2/4 मगाराम पुत्र पकाराम
3. तेजाराम पुत्र गोमाजी तमाम जाति मेघवाल (भांबी)
   निवासी पांचलवाडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

प्रतिवादी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति :–

1. श्री अमृत परिहार.................................. अभिभाषक वादीगण की और से
2. तहसीलदार,बाली पैरोकार सरकार

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

: : निर्णय : : दिनांक : 3–9–2019

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादी पेश कर ग्राम पांचलवाडा तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 303 रकबा 1.58 हैक्टर मेंसे वादपत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित भूमि 0.83 हैक्टर की घोषणा खातेदारी के साथ प्रतिवादी के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वादपत्र में वादीगण द्वारा इसका आधार यह वताया कि वादीगण के पिता श्री गोमा पुत्र हरजी को ग्राम पांचलवाडा में स्थित कृषि भूमि गत् खसरा नंबर 45 में 10 बीघा भूमि किस्म बारानी द्वितीय दिनांक 05.07.1970 को आवंटित की गई थी, तथा आवंटन की पालना में तेहरीर आदेश दिनांक 27.07.1970 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 162 भरा जाकर स्वीकृत किया गया था, आवंटन की सनद अधिकृत अधिकारी ने दिनांक 24.08.1970 को जारी की थी। प्रमाण में सनद एवं नामान्तरकरण संख्या 162 की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश की गई। वादग्रस्त भूमि पर आवंटन के पश्चात् वादीगण के पिता का कब्जा काश्त रहा तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण वादग्रस्त भूमि पर काबिज होते हुये भू0 प्रबन्ध कार्यवाही के पश्चात गत् खसरा नंबर 45 से बने हाल खसरा नंबर 305 रकबा 0.77 हैक्टर का ही खातेदार वादीगण को दर्ज किया गया, शेष रकबा 0.83 हैक्टर हाल खसरा नंबर 303 में मिलाते हुये ग्राम पांचलवाडा के हाल खसरा नंबर 303 रकबा 1.58 हैक्टर को राजकीय सिवायकचक खाते में दर्ज कर दिया। वादीगण के पिता अथवा वादीगण द्वारा आवंटन शुदा 10 बीघा भूमि मेंसे किसी भूभाग का बेचान, हस्तान्तरण नहीं किया गया गया है, भू0प्रबन्ध विभाग को पुर्व में दर्ज इन्द्राज को दोहराना होता है, बिना किसी आदेश के किसी व्यक्ति की खातेदारी भूमि में कमी करने का अधिकार नहीं है, जिससे भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई त्रुटि को दुरस्त करते हुये ग्राम पांचलवाडा में स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 303 रकबा 1.58 हैक्टर मेंसे नजरी नक्शा में वर्णित लाल स्याही से अंकित भू0भाग 0.83 हैक्टर का वादी संख्या–01, 02 व 03 को क्रमशः 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित करते हुये प्रतिवादी के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वादपत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य प्रदर्श–01 वादग्रस्त भूमि पांचलवाडा के खसरा नंबर 303 मेंसे रकबा 0.83 हैक्टर का नजरी नक्शा, प्रदर्श–2A, नामान्तरकरण संख्या 162 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–3, मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–04, वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 303 व अन्य खसराजात के नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–05, वादीगण के खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 305 रकबा 0.77 हैक्टर की जमाबंदी संवत् 2060 से 2063 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–07, मिसल बदोबस्त संवत् 2037 से 2056 की प्रमाणित

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी जिला - पाली (राज.)

उप - खण्ड अधिकारी बाली

पेज लगातार...................02

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद संख्या 47/2004 अनवान हीरी वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये(भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियमम, 1955

प्रतिलिपि प्रदर्श–8, वादग्रस्त भूमि पांचलवाडा के हाल खसरा नंबर 303 रकबा 1.58 हैक्टर की जमाबंदी संवत् 2060 से 2063 की प्रमाणित प्रतिलिपि, वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 303 की खसरा परिवर्तनशील की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदश–10 पेश की गई। इन अभिलेखीय साक्ष्यों के अलावा बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह P.W.-01 फूलाराम पुत्र पकाजी जाति मेघवाल आयु 24 वर्ष निवासी पांचलवाडा, गवाह P.W.-02 हीरसिंह पुत्र नरपतसिंहजी जाति राजपुत निवासी फतापुरा के बयान कलमबद्ध कराये गये।
प्रकरण पंजिबद्ध कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पेरोकार सरकार बिन्दुवार जवाब निम्नानुसार पेश किया:–

1. ग्राम पांचलवाडा तहसील बाली में नये खसरा नंबर 303 रकबा 1.58 हैक्टर किस्म गै0मु0 पत्थर रेकर्ड में सिवाय चक दर्ज हैं।
2. वादी गोमा पुत्र हरजी भांबी को दिनांक 15.05.1970 को ग्राम पांचलवाडा में खसरा नंबर पुराने 45 रकबा 10 बीघा आवंटन होने पर नामान्तरकरण संख्या 162 दर्ज कर स्वीकृत किया गया हैं।
3. वादी को आवंटित भूमि का भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा गत् खसरा नंबर 45 रकबा 10 बीघा में नये खसरा नंबर 305 रकबा 0.77 हैक्टर का पर्चा जारी किया गया है, शेष आवंटित भूमि के संबध में कब्जे क प्रमाण सबूत संलग्न नहीं किया गया हैं। इसके अतिरिक्त अपने पूरक जवाब में निवेदन किया गया कि खसरा नंबर 303 अलावा जोत नाकाबिल काश्त गैर मुमकिन पत्थर किस्म दर्ज है। किस्म परिवर्तन का कोई भी आदेश नहीं हुआ हैं। गैर मुमकिन भूमि होने से तहसीलदार, बाली की सनद प्रारम्भ से ही इस भूमि पर प्रभावी नहीं होना जाहिर किया गया। जवाब के अंत में निवेदन किया कि भूप्रबन्ध कार्यवाही के दौरान् काबिल काश्त नहीं होने से सही किस्म गैर मुमकिन पत्थर दर्ज की गई है तथा काबिल काश्त नहीं होने से प्रार्थी द्वारा कोई काश्त नहीं होने से भूप्रबन्ध विभाग द्वारा सिवायचक दर्ज की गई हैं, भूमि राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज होने से वादी को किसी प्रकार के हक अधिकार उत्पन्न नहीं होने से वाद वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में दावे व जवाबदावे के आधार पर वाद बिन्दु किये जाकर वादीपक्ष की मौखिक साक्ष्य ली गई, पश्चात् प्रकरण को प्रतिवादी पक्ष की साक्ष्य के लिये रखा गया। प्रतिवादी पक्ष को गवाह/साक्ष्य प्रस्तुती के लिये पर्याप्त समय अवसर दिये जाने के बावजुद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से न्यायालय द्वारा दिनांक 07.08.2019 को प्रतिवादी पेरोकार सरकार की मौखिक साक्ष्य का अवसर बंद करते हुये प्रकरण को बहस के लिये रखा गया।

दिनांक 19.08.2019 को उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्ववान् वकील वादीगण श्री अमृत परिहार ने बहस में वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि ग्राम पांचलवाडा के गत् खसरा नंबर 45 में 10 बीघा भूमि किस्म बारानी द्वितीय दिनांक 5.7.70 को वादीगण के पिता श्री गोमा पुत्र हरजी को आवंटित की गई, तथा आवंटन का नामान्तरकरण संख्या 162 भरा जाकर स्वीकृत किया गया। आवंटन शुदा भूमि के हाल खसरा नंबर 305 रकबा 0.77 हैक्टर एवं खसरा नंबर 303 रकबा 1.58 हैक्टर मेंसे वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित भू0भाग 0.83 हैक्टर कुल रकबा 1.60 हैक्टर बने है। वादीगण के पिता को आवंटन शुदा भूमि पर दिनांक 5.7.70 से वादीपक्ष काबिज होते हुये भूप्रबन्ध विभाग द्वारा दोषपुर्ण कार्यवाही करते हुये वर्तमान खसरा नंबर 305 रकबा 0.77 हैक्टर का ही खातेदार वादीगण को दर्ज किया एवं गत् खसरा नंबर 45 के भू0भाग से बने हाल खसरा नंबर 303 में अन्य भूमि सम्मिलित करते कुल रकबा 1.58 हैक्टर को राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज कर दिया, जबकि खसरा नंबर 303 मेंसे 0.83 हैक्टर की भूमि वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि रही हैं। भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई त्रुटिपुर्ण कार्यवाही की वजह से तहसीलदार, बाली एवं उसके प्रतिनिधि वादीगण को खातेदार नहीं मान रहे है, तथा धारा 91 के तहत कार्यवाही करते है, जबकि विधि अनुसार प्रतिवादी को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं है, वादीगण दिनांक 05.07.1970 से कुल 10 बीघा भूमि के खातेदार है तथा वादग्रस्त भूमि पर बहैसित खातेदार काबिज है। जिससे प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मौखिक साक्ष्यों द्वारा दिये गये बयानो के आधार पर वादग्रस्त भूमि ग्राम पांचलवाडा के खसरा नंबर 303 रकबा 1.58 हैक्टर मेंसे नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित भू0भाग रकबा 0.83 हैक्टर का खातेदार वादीगण को घोषित करते हुये प्रतिवादी के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने की दलील दी गई। इसके विपरित प्रतिवादी पेरोकार सरकार की ओर से बहस में वकील वादी की दलीलो का खण्डन करते हुये दलील दी गई कि वादग्रस्त भूमि ग्राम पांचलवाडा के खसरा नंबर 303 रकबा 1.58 हैक्टर वर्तमान अधिकार अभिलेखों में राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज है, जिससे सिवायचक भूमि के संबध में वादी को किसी प्रकार के हक अधिकार पैदा नहीं होते है, इसके साथ ही वर्णित भूमि की किस्म अधिकार अभिलेखों में गै.मु. पत्थर होने से प्रतिबंधित भूमि होने से खातेदारी नहीं दी जा सकती है।

पेज लगातार.....03

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

भू0प्रबन्ध के समय यदि वादीगण मौके पर काबिज होते एवं भूमि काबिल काश्त होती तो अवश्य ही खातेदारी वादीगण को प्रदान कर दी जाती, खसरा नंबर 305 रकबा 0.77 हैक्टर का खातेदार भी वादीगण को भू0प्रबन्ध बाद के लेखों में ही दर्ज किया गया है, भूप्रबन्ध पुर्व में अधिकार अभिलेखों में वादीगण के नाम कोई भूमि खातेदारी में दर्ज नहीं रही है, जिससे भूप्रबन्ध विभाग द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि की जाना प्रमाणित नहीं होने से वादीगण का वाद खारिज किये जाने की दलील दी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रकरण में कायम वाद बिन्दुओ को निम्नानुसार निर्णित किया जाता है:-

1. **आया ग्राम पांचलवाडा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि वादी पक्ष को आवंटित भूमि का भू-भाग है ?.....वादीगण**

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादीगण का था। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श-2ए आवंटन आदेश की फोटो प्रति के अनुसार गोमा पुत्र हरजी भांबी को पांचलवाडा के गत् खसरा नंबर 45 मेंसे 10 बीघा भूमि दिनांक 15.07.1970 को आवंटन होना जाहिर हैं। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 162 की प्रति प्रदर्श-03 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार उक्त आवंटन की पालना में दिनांक 05.4.75 को गोमा पुत्री हरजी के नाम 10 बीघा भूमि का गैर खातेदारी का नामान्तरकरण हल्का पटवारी पांचलवाडा द्वारा भरा गया, तथा दिनांक 03.05.75 को निरीक्षक भू0अभिलेख द्वारा जांच किया गया एवं पश्चात् दिनांक 26.05.75 को संबंधित अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया। इस प्रकार उपलब्ध तथ्यों से यह मानने में कोई आपत्ति नहीं हैं कि वादी पक्ष को ग्राम पांचलवाडा के गत् खसरा नंबर 45 मेंसे 10 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। वादीगण ने अपने वादपत्र में ग्राम पांचलवाडा के हाल खसरा नंबर 303 रकबा 1.58 हैक्टर मेंसे नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित भू0भाग को गत् खसरा नंबर 45 से बनना बताया है, परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षैत्रफल से इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है। मिलान क्षैत्रफल में हाल खसरा नंबर 303 रकबा 1.58 हैक्टर को गत् खसरा नंबर 45 मी. से बनना दर्शाया है तथा गत् खसरा नंबर 45 मी. का रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा अंकित किया गया है। वादीपक्ष द्वारा अपने कथनो कीं पुष्टि में कोई ओवर लेपिंग मैप भी प्रस्तुत नहीं किया है, तथा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यों मेंसे किसी गवाह द्वारा यह नहीं बताया गया कि आवंटित भूमि के पडौस क्या रहे है तथा वर्तमान में कौन पडौस है। जिससे वादी के कथनो के आधार पर यह स्पष्ट तौर पर नहीं माना जा सकता हैं कि वादग्रस्त भूमि पांचलवाडा के हाल खसरा नंबर 303 रकबा 1.58 हैक्टर मेंसे 0.83 हैक्टर जो वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित की गई है, वादी पक्ष को आवंटित भूमि का ही भू0भाग हैं। उक्त विवेचन से तनकी संख्या-01 आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

2. **आया भू0प्रबन्ध विभाग ने वादग्रस्त कृषि भूमि को बिना अधिकार के भू-अधिकार अभिलेखों में सिवायचक अंकित किया है ?.....वादीगण**

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व भी वादीगण का था। वादीगण ने अपने वादपत्र में भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा दोषपुर्ण कार्यवाही करने का आरोप लगाते हुये पांचलवाडा के हाल खसरा नंबर 303 रकबा 1.58 हैक्टर मेंसे नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित भू0भाग 0.83 हैक्टर की खातेदारी दिलाने की मांग करते हुये वादीपक्ष को दिनांक 15.07.1970 को आवंटित 10 बीघा भूमि के तूल्य भूमि भूप्रबन्ध बाद के अधिकार अभिलेखों में दर्ज किये जाने की मांग की जा रही हैं। वादी पक्ष द्वारा अपनी मांग के समर्थन में ऐसा कोई अभिलेखीय साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जो यह प्रमाणित करे कि भू0बन्ध पुर्व के अधिकार अभिलेखों में वादी पक्ष के खातेदारी में 10 बीघा भूमि दर्ज रही हो, पत्रावली पर आवंटन आदेश एवं उसकी पालना में 5 वर्ष पश्चात् दाखिल व स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 162 से वादीपक्ष को वर्ष 1975 में आवंटन शुदा 10 बीघा भूमि का गैर खातेदारी बाबत् स्वीकृत हुआ। सैटलमेंट पुर्व की किसी जमाबंदी में वादीपक्ष खातेदार होने बाबत् कोई साक्ष्य वादी पक्ष द्वारा पेश नहीं किया गया। इस प्रकार भूप्रबन्ध विभाग द्वारा बिना अधिकार के भू-अधिकार अभिलेखों में पांचलवाडा के हाल खसरा नंबर 303 रकबा 1.58 हैक्टर को सिवायचक दर्ज करने का आरोप स्वीकार योग्य नहीं है। वादीपक्ष द्वारा इस बाबत् न तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये एवं न ही प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यों से ही इस तथ्य की पुष्टि हो पाई है। जिससे उक्त तनकी भी वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

3. **आया प्रतिवादी के विरूद्व वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि की घोषणा खातेदारी, स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है ?.....वादीगण**

उक्त तनकी को सिद्व करने का दायित्व भी वादीगण का था। वादीगण ने अपने वादपत्र में ग्राम पांचलवाडा के हाल खसरा नंबर 303 रकबा 1.58 हैक्टर मेंसे वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित भू0भाग- 0.83 हैक्टर की घोषणा का आधार दिनांक 15.07.70 को वादीपक्ष को ग्राम पांचलवाडा के गत् खसरा नंबर 45 मेंसे 10 बीघा भूमि का आवंटन होना, तथा आवंटन के पश्चात् आज तक लगातार कब्जा काश्त होने का लिया है।

पेज लगातार..... 04

उप-खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–2ए आवंटन आदेश की फोटो प्रति के अनुसार गोमा पुत्र हरजी भांवी को पांचलवाडा के गत् खसरा नंबर 45 मेंसे 10 बीघा भूमि आवंटन हुई थी। तथा नामान्तरकरण संख्या 162 की प्रति के अनुसार वर्ष 1975 में 10 बीघा भूमि बाबत् बतौर गैर खातेदारी का नामान्तरकरण वादी पक्ष के नाम दर्ज होने की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यों से होती हैं। वादी पक्ष का वादग्रस्त भूमि पर आवंटन दिनांक 15.07.70 से लगातार कब्जा काश्त रहने का कोई साक्ष्य वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। प्रदर्श–10 खसरा परिवर्तनशील की प्रति के अनुसार संवत् 2046, संवत् 2048, संवत् 2051, संवत् 2053 के वर्षो में वादीपक्ष का पांचलवाडा के हाल खसरा नंबर 303 पर कब्जा व काश्त होना प्रमाणित हैं। भू0प्रबन्ध कार्यवाही के समय यदि वादीपक्ष का मौके पर कब्जा होता, तो भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा जिस तरह से खसरा नंबर 305 का पर्चा लगानं वादी पक्ष को जारी किया गया, उसी अनुसार खसरा नंबर 303 के संबध में भी जारी कर दिया जाता। इस प्रकार वादी के उक्त प्रकरण में न तो भू0प्रबन्ध विभाग की कोई त्रुटि प्रमाणित है एवं न ही वादी पक्ष का आवंटन के पश्चात् लगातार बेरोक–टोक कब्जा प्रमाणित हैं। जिससे वादी पक्ष वादग्रस्त भूमि की घोषणा खातेदारी पाने का अधिकारी नहीं रहता है। एवं खातेदारी घोषणा का अधिकारी नही होने से सार्वकालिक निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं रहता हैं। जिससे उक्त तनकी भी वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

4 अनुतोष ?

तनकी संख्या 01 से 03 वादीगण के पक्ष में नहीं होने से वादीगण किसी प्रकार का अन्य अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं बनते हैं।

–:: निर्णय ::–

तनकी संख्या 01 से 03 वादीगण के पक्ष में साबित न होने से वादीगण द्वारा ग्राम पांचलवाडा के हाल खसरा नंबर 303 रकबा 1.58 हैक्टर मेंसे 0.83 हैक्टर की घोषणा खातेदारी एवं सार्वकालिक निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एतद्द्वारा खारिज किया जाता हैं। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
आर.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 3-9-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अदालत सहाक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
इजलास डॉ. भास्कर बिश्नोई (आर.ए.एस.)

वादीगण

स्व0. गोमा पुत्र हरजी जाति भांबी(मेघवाल)
निवासी पांचलवाडा तहसील बाली के कायम मुकाम वारिशानः–

1. स्व0. भूदाराम पुत्र गोमाजी के कायम मुकाम वारिशानः–
   1/1 श्रीमति हीरी धर्म पत्नि स्व0. भूदाराम
   1/2 दीपचंद पुत्र भूदाराम
   1/3 मोहनलाल पुत्र भूदाराम
2. पकाराम पुत्र गोमाजी के कायम मुकाम वरिशानः–
   2/1 चम्पाबाई बेवा पकाराम
   2/2 फूलाराम पुत्र पकाराम
   2/3 झालाराम पुत्र पकाराम
   2/4 मगाराम पुत्र पकाराम
3. तेजाराम पुत्र गोमाजी तमाम जाति मेघवाल (भांबी)
   निवासी पांचलवाडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

प्रतिवादी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

राजस्व वाद प्रकरण सं0 47/2004
वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष वकील वादी एवं प्रतिवादी पेरोकार सरकार मिनजानिब मुद्दई व मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि तनकी संख्या 01 से 03 वादीगण के पक्ष में साबित न होने से वादीगण द्वारा ग्राम पांचलवाडा के हाल खसरा नंबर 303 रकबा 1.58 हैक्टर मेंसे 0.83 हैक्टर की घोषणा खातेदारी एवं सार्वकालिक निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एतद्द्वारा खारिज किया जाता हैं। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 3-9-2005 को जारी किया गया।

मोहर

उप - खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उप - खण्ड अधिकारी बाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sreenidhi B T
Date: 2019.11.29 12:39:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: